इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2013—भाद्र 13, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1-9-2013-वि-5-बाईस-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- 1. नियम 8 में.—
 - (क) जहां कहीं भी अंक ''30'' और ''38'' आए हों उनके स्थान पर, अंक ''40'' स्थापित किया जाए;
 - (ख) जहां कहीं भी अंक "35" आया हो उसके स्थान पर, अंक "45" स्थापित किया जाए;
 - (ग) उप नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थातः—

परन्तु किसी भी दशा में पारिणामिक आयु 45 वर्ष से अधिक न हो.

2. अनुसूची एक, दो, तीन और चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची-एक (नियम-5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित		पदों व	नी संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान+ग्रेड-पे	अभ्युक्तियां
पदों के नाम	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु	म. प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण हेतु	मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् हेतु	बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फंड (बीआरजीएफ) योजना हेतु	कुल पद संख्या	-		
(1)	******		(2)			(3)	(4)	(5)
1. प्रमुख अभियंता	1	1	0	0	2	प्रथम श्रेणी	₹. 37400—67000 ₹. 10000	
2. मुख्य अभियंता (सिविल)	4	2	1	0	7	प्रथम श्रेणी	₹. 37400—67000 ₹. 8900	
3. अधीक्षण यंत्री (सिविल)	23	2	4	0	29	प्रथम श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 7600	

(1)			(2)			(3)	(4)	(5)
4. अधीक्षण यंत्री (विद्युत्)	1	0	0	o	1	प्रथम श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 7600	
5. कार्यपालन यंत्री (सिविल)	80	39	6	0	125	प्रथम श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 6600	
6. कार्यपालन यंत्री (विद्युत्)	4	0	0	0	4	प्रथम श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 6600	
7. आर्कीटेक्ट	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 6600	
8. सहायक यंत्री (सिविल)	226	121	392	29	768	द्वितीय श्रेणी	চ. 15600─39100 চ . 5400	
 सहायक यंत्री (विद्युत्) 	12	0	0	0	12	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	
10. प्रशासकीय अधिकारी	1	0	0	0	1	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	
 सहायक संचालक (जनसम्पर्क). 	1	0	0	0	1	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	
12. सहायक संचालक (सांख्यिकी).	1	0	0	0	1	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	
13. सहायक आर्कीटेक्ट	2	0	0	0	2	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	
14. लेखाधिकारी	4	0	o	0	4	द्वितीय श्रेणी	₹. 15600—39100 ₹. 5400	

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए)

पदों के नाम	पदों की	मध्यप्रदेश ग्रामी	ण यांत्रिकी सेवा (रा	जपत्रित) में भरे जाने	अभ्युक्तियां
	संख्या	বা	ले पदों की संख्या क	। प्रतिशत	
		सीधी भरती	सेवा के सदस्यों की	अन्य सेवाओं के	
	द्व	रा [नियम 6(क)	पदोन्नति द्वारा	व्यक्तियों के अस्थायी	
		देखिए]	[नियम 6 (ख)	अंतरण द्वारा	
			देखिए]	[नियम 6 (ग)	
				देखिए]	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रमुख अभियंता	02	0%	100%	0%	
2. मुख्य अभियंता	07	0%	100%	0%	
(सिविल).					
3. अधीक्षण यंत्री	29	0%	100%	0%	
(सिविल).					
4. अधीक्षण यंत्री	01	0%	100%	0%	
(विद्युत्).					
	125	0%	100%	0%	
(सिविल).			,		
	04	0%	100%	0%	
	• •	3 70	10070	070	
	01	0%	0%	100%	प्रतिनियुक्ति पर
7. 9114/1040	01	0 70	0 / 8	10076	Attingiati at
8. सहायक यंत्री	768	25 प्रतिशत	75%		
(सिविल).		(एव	新) 50%		
	(2) 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता (सिविल). 3. अधीक्षण यंत्री (सिविल). 4. अधीक्षण यंत्री (विद्युत्). 5. कार्यपालन यंत्री (सिविल). 6. कार्यपालन यंत्री (विद्युत्). 7. आकर्रिक्ट	(2) (3) 1. प्रमुख अभियंता 02 2. मुख्य अभियंता 07 (सिवल). 3. अधीक्षण यंत्री 29 (सिवल). 4. अधीक्षण यंत्री 01 (विद्युत्). 5. कार्यपालन यंत्री 125 (सिवल). 6. कार्यपालन यंत्री 04 (विद्युत्). 7. आर्कीटेक्ट 01 8. सहायक यंत्री 768	संख्या सीधी भरती द्वारा [नियम 6(क) देखिए] (2) (3) (4) 1. प्रमुख अभियंता 02 0% 2. मुख्य अभियंता 07 0% (सिवल). 3. अधीक्षण यंत्री 29 0% (सिवल). 4. अधीक्षण यंत्री 01 0% (विद्युत्). 5. कार्यपालन यंत्री 125 0% (सिवल). 6. कार्यपालन यंत्री 04 0% (विद्युत्). 7. आर्कीटेक्ट 01 0% 8. सहायक यंत्री 768 25 प्रतिशत	संख्या वाले पदों की संख्या क सीधी भरती सेवा के सदस्यों की द्वारा [नियम 6(क) पदोन्नित द्वारा देखिए] [नियम 6 (ख) देखिए] (2) (3) (4) (5) 1. प्रमुख अभियंता 02 0% 100% (सिवल). 3. अधीक्षण यंत्री 07 0% 100% (सिवल). 4. अधीक्षण यंत्री 01 0% 100% (विद्युत्). 5. कार्यपालन यंत्री 125 0% 100% (सिवल). 6. कार्यपालन यंत्री 04 0% 100% (विद्युत्). 7. आर्कटिक्ट 01 0% 0% 8. सहायक यंत्री 768 25 प्रतिशत 75% (एक) 50%	संख्या सिधी भरती सेवा के सदस्यों की अन्य सेवाओं के द्वारा [नियम 6(क) पदोन्तति द्वारा व्यक्तियों के अस्थायी देखिए] [नियम 6 (ख) अंतरण द्वारा दिखए] [नियम 6 (ख) अंतरण द्वारा देखिए] [नियम 6 (ग) देखिए] (2) (3) (4) (5) (6) 1. प्रमुख अभियंता 02 0% 100% 0% 2. मुख्य अभियंता 07 0% 100% 0% (सिविल). 3. अधीक्षण यंत्री 29 0% 100% 0% (सिवल). 4. अधीक्षण यंत्री 01 0% 100% 0% (विद्युत्). 5. कार्यपालन यंत्री 125 0% 100% 0% (सिवल). 6. कार्यपालन यंत्री 04 0% 100% 0% (विद्युत्). 7. आर्कटिक्ट 01 0% 0% 100% 0% 100% 8. सहायक यंत्री 768 25 प्रतिशत 75%

सिविल इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	· •			(दो) 20% सिविल इन्जीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्रियों (तीन)05% मानचित्रकारों (ड्राफ्ट्समेन सिविल)	0% tì.	
	9. सहायक यंत्री (विद्युत्).	12	25 प्रतिशत	75% (एक) 50% विद्युत् इन्जीनि डिप्लोमाधारी उपयंत्रिः (दो) 20% विद्युत् इन्जीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्रियों से. (तीन)05% मानचित्रकारों (ड्राफ्ट्समेन विद्युत्) से. उपलब्ध नहीं हो पर विद्युत् इंजीनियरिं	थों से. 0% ोने रंग	
	10. प्रशासकीर अधिकारी.	म 01	0%	100%	_	
	11. सहायक संचालक (जनसम्पर्क	01	0%	0%	100%	प्रतिनियुक्ति पर
	12. सहायक संचालक (सांख्यिकी	01	0%	0%	100%	प्रतिनियुक्ति पर
	13. सहायक आर्कीटेक्ट.	02	0%	0%	100%	प्रतिनियुक्ति पर
	14. लेखाधिक	री 04	0%	0%	100%	प्रतिनियुक्ति पर

टीप.—क्रमांक 7 एवं 11 से 14 तक वर्णित पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे. प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी उपलब्ध न होने की दशा में विभाग के नियमानुसार विभागीय कर्मचारियों से पद भरे जावेंगे.

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम अप्या स्वीरण	अधिकतम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तिय
(1)	(2)	आयु सीमा	आयु सीमा	(5)	(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंचायत एवं ग्रामीण	ग्रामीण यांत्रिकी				
विकास विभाग/	सेवा.				
ग्रामीण यांत्रिकी					
सेवा.	सहायक यंत्री	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी भारतीय विश्वविद्यालय से	
	(सिविल).			अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप	त
				किसी अभियांत्रिकी संस्था से सिवि	ल
				इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इंस्टीट्यूश	न
				ऑफ इंजीनियर्स (ए.एम.आई.ई.) व	त
				सिविल इंजीनियरिंग में एसोसिए	ट
				मेम्बर, इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स	
				(इंडिया) द्वारा दिया गया व्यावसायि	क
				प्रमाण-पत्र.	
	सहायक यंत्री	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी भारतीय विश्वविद्यालय से	
	(विद्युत्).			अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रा	त
	3			किसी अभियांत्रिकी संस्था से विद्यु	त्
				इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इंस्टीट्यूश	•
				ऑफ इंजीनियर्स (ए.एम.आई.ई.) व	
				विद्युत् इंजीनियरिंग में एसोसिएट मेम्ब	
				इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया)
				द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र.	

अनुसूची—चार (*नियम-13 देखिए*)

विभाग/सेवा	उस पद का नाम	अगले उच्च पद	उस पद का	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
का नाम	जिससे पदोन्नति	पर पदोन्नति	नाम जिस पर	
	की जानी है	के लिये अर्हता	पदोन्नति	
		हेतु न्यूनतम	की जानी है	
		अनुभव		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा.	1. मुख्य अभियंता (प्रथम श्रेणी).	2 वर्ष	प्रमुख अभियंता (प्रथम श्रेणी).	मुख्य सचिव-अध्यक्ष अन्य विभाग का वरिष्ठ प्रमुख सचिव-सदस्य आरक्षित प्रवर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव/विकास आयुक्त सदस्य सचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. अधीक्षण यंत्री (सिविल) (प्रथम श्रेणी)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम श्रेणी.	मुख्य सिचव-अध्यक्ष अन्य विभाग का वरिष्ठ प्रमुख सिचव-सदस्य आरिक्षत प्रवर्ग का प्रमुख सिचव/सिचव-सदस्य विभागीय प्रमुख सिचव/सिचव/विकास आयुक्त सदस्य सिचव.
	3. कार्यपालन यंत्री (सिविल) (प्रथम श्रेणी)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (सिविल) प्रथम श्रेणी.	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य-अध्यक्ष. आरक्षित प्रवर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव-सदस्य सचिव.
	4. कार्यपालन यंत्री (विद्युत्) (प्रथम श्रेणी)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (विद्युत्) प्रथम श्रेणी.	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य-अध्यक्ष. आरक्षित प्रवर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव-सदस्य सचिव.
	5. सहायक यंत्री (सिविल) (द्वितीय श्रेणी)	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (सिविल) प्रथम श्रेणी.	-तदैव-
	6. सहायक यंत्री (विद्युत्) (द्वितीय श्रेणी)	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (विद्युत्) प्रथम श्रेणी.	
	7. उपयंत्री (सिविल डिग्रीधारी) तृतीय श्रेणी	8 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल) द्वितीय श्रेणी.	
	8. उपयंत्री (विद्युत् डिग्रीधारी) तृतीय श्रेणी	8 वर्ष	सहायक यंत्री (विद्युत्) द्वितीय श्रेणी.	"
	9. उपयंत्री (सिविल डिप्लोमाधारी) तृतीय श्रेणी.	10 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल) द्वितीय श्रेणी.	
	10. उपयंत्री (विद्युत् डिप्लोमाधारी) तृतीय श्रेणी.	10 वर्ष	सहायक यंत्री (विद्युत्) द्वितीय श्रेणी.	"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	11. मानचित्रकार तृतीय श्रेणी (सिविल).	12 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल) द्वितीय श्रेणी.	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य-अध्यक्ष. आरक्षित प्रवर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव-स विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव-सदस्य सचि
	12. मानचित्रकार तृतीय श्रेणी (विद्युत्).	12 वर्ष	सहायक यंत्री (विद्युत्). द्वितीय श्रेणी.	तदैव
	13. शीघ्र लेखक	6 वर्ष	प्रशासकीय अधिकारी.	तदैव

टिप्पणी.—1. कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर केवल वे ही सहायक यंत्री पदोन्नित के पात्र होंगे, जिनके पास राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/वास्तुविद् अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा उसी ब्रांच में उच्च योग्यता हो.

- 2. कार्यपालन यंत्री (विद्युत्) के पद पर केवल वे ही सहायक यंत्री पदोन्नित के पात्र होंगे, जिनके पास राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा उसी ब्रांच में उच्च योग्यता हो.
- 3. केवल, सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति ही अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर या इस पद से उच्चतर किसी पद पर पदोन्नित के पात्र होंगे.
- 4. केवल विद्युत् अभियांत्रिकी में डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति ही अधीक्षण यंत्री (विद्युत्) के पद पर पदोनित से पात्र होंगे.
- 5. मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नित के लिये केवल अधीक्षण यंत्री (सिविल) ही पात्र होंगे.

No. F-1-9-2013-V-5-XXII-/ESTT.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rural Engineering (Gazetted) service recruitment Rules, 1986, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 8,—

- (a) Wherever the figure "30" and "38" has occurred, the figure "40" shall be substituted;
- (b) Wherever the figure "35" has occured, the figure "45" shall be substituted.
- (c) After sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the resultant age in any case does not exceed 45 years.

2. For schedule I, II, III and IV the following schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I (See rule-5)

Naı	ne of post included		No.	of post			Classification	Pay Scale with	Remarks
	in the service	For Rural Engineering service	For M.P. Rural Road Develop- ment Authority	For M.P. State Employ- ment Guarantee Council	For Backward region grant fund (BREGF Scheme)	Total no. of post		Grade Pay (G.P.)	
	(1)			(2)			(3)	(4)	(5)
1.	Engineer-In-Chief	1	1	0	0	2	Class-I	Rs. 37400-67000, Rs. 10000 GP	-
2.	Chief Engineer (Civil).	4	2	1	0	7	Class-I	Rs. 37400-67000, Rs. 8900 GP	-
3.	Superintending Engineer (Civil).	23	2	4	0	29	Class-I	Rs. 15600-39100, Rs.7600 GP	-
4.	Superintending Engineer (Electrica	1 l).	0	0	0	1	Class-I	Rs. 15600-39100, Rs.7600 GP	-
5.	Executive Engineer (Civil).	80	39	6	0	125	Class-I	Rs. 15600-39100, Rs.6600 GP	-
6.	Executive Engineer (Electrical	4 l).	0	0	0	4	Class-I	Rs. 15600-39100, Rs.6600 GP	.
7.	Architect	1	0	0	0	1	Class-I	Rs. 15600-39100, Rs.6600 GP	-
8.	Assistant Engineer (Civil).	226	121	392	29	768	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400	-
9.	Assistant Engineer (Electrical	12	0	0	0	12	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	-
10.	Administrative Officer.	1	0	0	0	1	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	
11.	Assistant Director (Public Relation).	1	0	0	0	1	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	-
12.	Assistant Director (Statistical).	1	0	0	0	1	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	-
13.	Assistant Architect	2	. 0	0	0	2	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	-
14.	Account Officer	4	0	0	0	4	Ciass-II	Rs. 15600-39100, Rs.5400 GP	-

SCHEDULE-II (See Rule 6)

Name of Department/ Service	,	Name of service	Number of Posts		ge of the number of t Madhya Pradesh Ru Service (Gazetted	ral Engineering	Note (Remark)
				By direct Recruitment [vide rule 6(a)]	By promotion of the members of the service [vide rule 6(b)]	By Temporary Transfer of the member from other services [vide rule 6(c)]	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panchayat	1.	Engineer-in-Chief	02	0%	100%	-	-
Rural	2.	Chief Engineer (Civil)	07	0%	100%	••	_
Develop- ment/		Superintending Engineer (Civil).	29	0%	100%	-	-
Rural Engineering		Superintending Engineer (Electrical).	01	0%	100%	-	-
Service.	5.	Executive Engineer (Civil).	125	0%	100%	-	-
	6.	Executive Engineer (Electrical).	04	0%	100%	-	-
	7.	Architect	01	0%	0%	100%	On deputation
	8.	Assistant Engineer (Civil).	768	25%	75%	0%	
					(i) 50% posts from Civil Engineering Diploma holder sub-engineers.		
					(ii) 20% posts from Civil Engineering Degree holder sub-engineers.		
				(iii) 05% posts from Draughtsman (Civil).		
	9.	Assistant Engineer (Electrical).	12	25%	75%	-	
		((i) 50% posts from ectrical Engineering Diploma holder sub-engineers.		
			·		ii) 20% posts from ectrical Engineering Degree holder sub-engineers.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(iii) 05% posts from Draughtsman (Electrical)/ in case draughtsman (Electrical) are not available then from Electrical Engineering Degree holder sub-engineers.		
	10. Administrative Officer	01	0%	100%	-	-
	11. Assistant Director (Public Relation).	01	0%	0%	100%	On deputation
	12. Assistant Director (Statistical).	01	0%	0%	100%	-do-
	13. Assistant Architect	02	0%	0%	100%	-do-
	14. Accounts Officer	04	0%	0%	100%	-do-

Note.—The post stated at S.No. 7 and 11 to 14 shall be filled on deputation basis from other departments. The employee are not available by deputation the post shall be filled by the departmental employee as per department rules.

SCHEDULE-III (See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational Qualifications (5)	Remarks (6)
Panchayat & Rural Development/ Rural Engineering	The M.P. Rural Engineering Service (Gazetted).	1	·		
Service.	Assistant Engineer (Civil).	21 Years	40 Years	A degree in Civil Engineering from any Indian University or from any Engineering Institution recognized by the State Government or Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) in Civil Engineering, professional certification given by Institution of Engineers (India).	
	Assistant Engineer (Electrical).	21 Years	40 Years	A degree in Electrical Engineering from any Indian University or from any Engineering Institution recognized by the State Government or Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) in Electrical Engineering, professional certification given by Institution of Engineers (India).	

SCHEDULE-IV (See rule 14)

Name of Department/ Service	Mary of solution	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum experience for being qualified for promotion to the next higher post	promotion is	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Panchayat and Rural Development /Rural Engineering Service.	1.	Chief engineer	2years	Engineer-in-Chief	Chief Secretary—Chairman Senior principal Secretary of other Department—Member. Principal Secretary / Secretary of reserved category—Member Principal Secretary / Secretary / Development commissioner of the Department—Member-Secretary.
	3.	Superintending Engineer (Civil), (Class-I).	5 years	Chief Engineer (Class-I)	Chief Secretary—Chairman Senior principal Secretary of other Department—Member. Principal Secretary / Secretary of reserved category—Member Principal Secretary / Secretary / Development commissioner of the Department—Member-Secretary.
	3.	Executive Engineer (Civil), (Class-I).	5 years	Superintending Engineer (Civil), (Class-I).	Chairman of the Public Service Commission or any member nominated by him—Chairman. Principal Secretary / Secretary of reserved category—Member Development Cmmissioner/Principal Secretary—Member-Secretary.
	4.	Executive Engineer (Electrical) (Class I)	5 years	Superintending Engineer (Electrical).	do
	5.	Assistant Engineer (Civil) (Class-II)	6 years	Executive Engineer (Civil) (Class-I)	do
·	6.	Assistant Engineer (Electrical) (Class II)	6 years	Executive Engineer (Electrical) (Class-I)	do
	7.	Sub Engineer (Civil Degree Holder) (Class-III)	8 years	Assistant Engineer (Civil) (Class-II)	do

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8. Sub Engineer (Electrical Degree Holder) (Class-III).	8 years	Assistant Engineer (Electrical) (Class-II)	do
	9. Sub Engineer (Electrical Diploma Holder (Class-III).	10 years	Assistant Engineer (Electrical) Class-II	do
	10. Sub Engineer (Civil Diploma Holder) (Class-III).	10 years	Assistant Engineer (Civil) Class-II	do
	11. Draughtsman (Civil) Class-III	12 years	Assistant Engineer (Civil) Class-II	do
	12 Draughtsman (Electrical) Class-III	12 years	Assistant Engineer (Electrical) Class-II	do
	13. Stenographer	06 Years	Administrative Officer Class-II	do

Note.—1. Only those assistant Engineers shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil) who possesses at least a three year diploma in Civil/Architecture Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qulification in same Branch.

- 2. Only those assistant Engineers shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Electrical) who possesses at least a three year diploma in Electrical/Mechanical Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qulification in same Branch.
- 3. Only the persons possessing a Degree in Civil Engineering shall be eligible for promotion to the post of the superintending Engineer (Civil) or any higher post.
- 4. Only the persons possessing a Degree in Electrical Engineering shall be eligible for promotion to the post of the superintending Engineer (Electrical).
- 5. Only the Supernteding Engineering (Civil) shall be eligible for promotion to the post of the Chief Engineer (Civil).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.